संचिका सं0–07/स्था0–05/2020
बिहार सरकार
वित्त विभाग
(सांख्यिक वित्त निदेशालय)

नियोजन हेतु सूचना

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–1003, दिनांक–22/01/2021 में निहित प्रावधानों के आलोक में वित्त विभाग के अन्तर्गत सांख्यिक वित्त निदेशालय में बैंकिंग एक्सपर्ट के (3) तीन रिक्त पदों पर बैंकिंग सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी को संविदा के आधार पर नियोजन के लिए विहित प्रपत्र में सक्रिय, कर्मठ एवं सुयोग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

2. पदों से संबंधित विवरण के साथ-साथ अपेक्षित पात्रता संबंधित शर्ते निम्नानुसार है:-

(i) पदों की संख्या: 03 (बैंकिंग एक्सपर्ट)

क्र०सं०	कोटि	पद
1	अनारक्षित	02
2	अनुसूचित जाति	01
	कुल रिक्त पद	**03**

(ii) योग्यता:- बैंकिंग सेवा के ए०जी०एम० स्तर से अन्यून सेवानिवृत्त पदाधिकारी को संविदा पर नियुक्त किया जा सकेगा। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति में कार्यानुभव प्राप्त सेवानिवृत पदाधिकारियों (यदि कोई हो) को उक्त नियोजन में प्राथमिकता दी जाएगी।

(iii) मानदेय:- नियोजित पदाधिकारियों का मानदेय का निर्धारण सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त अंतिम वेतन के आधार पर होगा, जो नियत (Fix) रहेगा अर्थात् सेवानिवृत्त पदाधिकारी को अंतिम प्राप्त वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर शेष राशि देय होगा।

(iv) आयु सीमा:- **दिनांक–31.03.2026** को **63** वर्ष से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए।

(v) विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र, सभी स्वअभिप्रमाणित शैक्षणिक (मैट्रिक प्रमाण पत्र सहित) प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण–पत्रों, जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षित वर्ग की स्थित में), फोटो युक्त आवास प्रमाण–पत्र, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (C.M.O) द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र, विभाग/राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण–पत्र, ए०जी०एम० स्तर से अन्यून पद से सेवानिवृत्त होने का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति एवं पासपोर्ट साईज का चार रंगीन फोटो **दिनांक–01.06.2026** के अपराह्न **5.00** बजे तक निदेशक–सह–अपर सचिव, सांख्यिक वित्त निदेशालय, पुराना सचिवालय, पटना, पिन कोड–800015 को केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जा सकता है। डाक में विलंब होने की स्थिति में निदेशालय की कोई जबाबदेही नहीं होगी। उपरोक्त निर्धारित तिथि से विलंब से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(vi) यह नियोजन संविदा के आधार पर प्रथम एक वर्ष के लिए किया जायेगा। संतोषप्रद सेवा रहने पर एक-एक साल का अवधि विस्तार किया जायेगा, जो अधिकतम 65 की उम्र तक

होगा। संतोषप्रद सेवा नहीं पाये जाने पर किसी भी समय बिना किसी सूचना के सेवा से हटाया जा सकता है।

(vii) उक्त पदों के लिए नियोजन की प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार सांस्थिक वित्त निदेशालय के पास सुरक्षित होगा, इसके विरूद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(viii) आवश्यकतानुसार शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर केवल Shortlisted अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा तथा तद्नुसार चयन समिति द्वारा चयन किया जायेगा।

3. **अयोग्यता:-**

निम्नांकित कोटि के कर्मियों/अभ्यर्थियों का नियोजन नहीं किया जायेगा,

(i) जिन पर किसी तरह का आपराधिक मामला दर्ज/विचाराधीन हो,

(ii) जिन पर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन है।

(iii) जिन पर कोई निगरानी वाद/विभागीय कार्यवाही का मामला चल रहा हो,

(iv) चयन समिति की दृष्टि में जो स्वास्थ्य की दृष्टि से सक्षम न हो,

4. **आरक्षण:-**

(क) आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में हैं, अर्थात् जो बिहार के मूलवासी है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-673, दिनांक-08/03/2011 के आलोक में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार के लिए अनुसूचित जाति की दशा में अपने-अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

5. गुणागुण के आधार पर चयनित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की गणना गैर आरक्षित वर्ग में की जायगी।

6. नियोजन हेतु चयन किये जाने हेतु स्वस्थ्य होने के संबंध में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (C.M.O) द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

7. अभ्यर्थी अंतिम विभाग/राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करेंगे।

8. अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक अथवा अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं हो, इससे संबंधित शपथ पत्र भी संलग्न करना आवश्यक होगा।

9. सेवानिवृत्त आवेदकों के लिए आवेदन पत्र के साथ पेंशन बुक की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

10. नियोक्ता एवं नियोजित कर्मी के बीच एक एकरारनामा सम्पन्न किया जायेगा।

11. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य सुविधा के हकदार नहीं होगे।

12. सरकारी सेवा में नियमितीकरण का नियुक्त संविदा कर्मी पदाधिकारी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

13. अभ्यर्थी को साक्षात्कार में बुलाये जाने पर यात्रा भत्ता एवं अन्य किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।

14. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को सभी मूल वांछित कागजात एवं मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(मुकेश कुमार लाल)
विशेष सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

बैंकिंग एक्सपर्ट के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन का प्रपत्र

स्व अभिप्रमाणित फोटो

1. आवेदक का नाम:-
2. पिता का नाम:-
3. लिंग:-
4. नागरिकता:-
5. जन्म तिथि:-
6. सेवानिवृत्ति की तिथि:-
7. शैक्षणिक योग्यता:-
8. कोटि:- अनारक्षित ☐ अनुसूचित जाति ☐
9. (i) अंतिम धारित पद का पदनाम:-
   (ii) अंतिम धारित पद का वेतन:-
   (iii) पूर्व में कार्यरत बैंक का नाम:-
   (iv) योग्यता एवं कार्यानुभव से संबंधित विवरण:-
   (संबंधित कागजात का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करेंगे)
   (v) बैंकिंग सेवा में योगदान की तिथि एवं कार्यरत्त अवधि:-
10. स्थायी पता:-
11. वर्तमान पत्राचार का पता:-
12. मोबाईल नं०:-
13. ई-मेल आई०डी०:-
14. घोषणा:-

एतद् द्वारा मैं घोषणा करती/करता हूँ कि उपरोक्त सूचना एवं संलग्न कागजात सही है। मेरे उपर किसी प्रकार का आपराधिक वाद/निगरानी वाद/विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है, तथा स्वास्थ्य के दृष्टि से कर्त्तव्य पालन हेतु मैं सक्षम हूँ।

किसी प्रकार की त्रुटि अथवा गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने पर मेरा आवेदन अमान्य किया जा सकता है। विभाग मेरे विरूद्ध विधि सम्मत् कार्रवाई करने को स्वतंत्र होगी एवं इसकी पूर्ण जबावदेही मेरी होगी।

स्थान:-....................

दिनांक:-................

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर:-...........

(i) हिन्दी में.......................

(ii) अंग्रेजी में.......................